संख्या-49/2024/509/सैंतीस-2-2024/003-1(53)/02

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 मार्च, 2024

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यिकी अध्ययन तथा शोध कार्य (50 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-420/15(10)/संख्या-2/2023-24, दिनांक-23.02.2024 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-132/2023/2608/सैंतीस-2-2023/002-1(53)/02, दिनांक-17.11.2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यिकी अध्ययन तथा शोध कार्य (के.50/रा.50-के.+रा.) के मानक मद 61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. में अन्तरण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) (केन्द्रांश) (रू0-33.75 लाख वेतन मद+रू0-16.25 लाख टी.ए./डी.ए., आई.टी. सोल्यूशन, ट्रेनिंग मद) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष किया जायेगा, जिस वर्ष व परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त व स्वीकृत की गयी थी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(8) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 2403001130101 पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यिकी अध्ययन तथा शोध कार्य (के.50/रा.50-के.) **मानक मद** 61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-630-X-2023-24, दिनांक-13 मार्च, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-49/2024/509(1)/सैंतीस-2-2024/003-1(53)/02, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक (एएचएस), भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग (एएचएस डिवीजन), चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ रोड, नई दिल्ली-110001 ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।